

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. / 2014 निगरानी,

१०

1. सोनेराम आदिवासी पुत्र मंजू आदिवासी
 2. सुनीता पत्नी सोनेराम आदिवासी
निवासीगण ग्राम विलूखो तह. व जिला शिवपुरी
म.प्र. --- आवेदकगण
- बनाम
म.प्र. शासन --- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्त अंचि—
विद्वान् आयक्त

राजरव मण्डल, गद्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुबृति आदेश पुस्तक

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1655 / दीन / 2014

जिला शिवपुरी

नि. तथा
क्र.

कार्यपाली तथा आदेश

प्रदेशकार्यपाली
ग्वालियर अधिकारी
हरिहरेश

२६.६.१५

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 241/12-13 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 27.1.14 के विरुद्ध म०प्र०भू राजरव संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को प्रस्तुत की गई है।


2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर एवं अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 241/12-13 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 27.1.14 के अवलोकन पर पाया गया कि विचाराधीन निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को अर्थात् आदेश पारित होने के 123 दिन वाद प्रस्तुत की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 10.4.14 एक दिवस का समय लगा है 123-01=122 दिवस का विलम्ब है, जबकि संहिता में किये गये संशोधन क्रमांक 42 सन् 2011 - म०प्र०राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित अनुसार इस हेतु केवल 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है। इस प्रकार निगरानी लगभग 62 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत है। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के तथ्यों के पुस्ति में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.14 की जानकारी रीडर ने 10.4.14 को दी, जबकि आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 27.1.14 के अनुसार अप्रैलाथी (आवेदक) के अभिभाषक ने इसी दिन उपरिथत रहकर तर्क प्रस्तुत किये हैं।

निगरानी क्रमांक 1656 / तीन / 2014

और इसी दिन आदेश पारित हुआ है।

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 - विलंब माफी हेतु आवेदन आदेश को जानकारी का श्रोत राहीं नहीं दर्शाया गया प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं - विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. ८०प्र० भू राजरव संहिता 1959 धारा 47 अनुचित विलंब को शामा अपने एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान् अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
3. ८०प्र० भू राजरव संहिता 1959 - धारा 47 अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है - आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया - आदेश का सूक्ष्म होना जाना मानी जावेगी।
4. ८०प्र० भू राजरव संहिता 1959 धारा 47 आदेश की जानकारी का दिनांक एवं उसका श्रोत राखित नहीं किया गया - विलंब क्षमा योग्य नहीं है।
4/ उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी अवधि-वाह्य पर्ये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।


(अशोक शिवहरे)
सदरस्थ
राजरव मण्डल
मध्य प्रदेश वालियर